पत्रांक:–10/न 1 –13/2017...............

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

आर० पी० एस० 'रंजन'
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक...............................

विषय:– **डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, नारायण नगर, नेवाजी टोला, चौक, छपरा सदर, सारण को CBSE बोर्ड, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है **डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, नारायण नगर, नेवाजी टोला, चौक, छपरा सदर, सारण** को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये गये शपथ–पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :–

1. यह विद्यालय **डी0 ए0 भी0 कॉलेज ट्रस्ट एण्ड मैनेजमेंट सोसाइटी** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **2.43 एकड़ (ग्रामीण)** उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध हैं। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं।**

4. विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति है। विद्यालय में **कुल 13** शिक्षक है। **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।**

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु0 जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रूपया 2,00,000/-(दो लाख रूपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलामीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तो को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी **सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।**

9. **साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है।** स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तो के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2002 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. **विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।**

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तो के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार **डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, नारायण नगर, नेवाजी टोला, चौक, छपरा सदर, सारण** को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबंधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(आर० पी० एस० 'रंजन')

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :-10/न 1-13/2017 .... पटना, दिनांक....................

प्रतिलिपि :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, **सारण** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

ह०/-

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :-10/न 1-13/2017....37.......... पटना, दिनांक....15/1/18......

प्रतिलिपि:-प्राचार्य, **डी0 ए0 भी0 पब्लिक स्कूल, नारायण नगर, नेवाजी टोला, चौक, छपरा सदर, सारण** को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

12/01/2018

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार पटना।

शुद्धि–पत्र

संचिका संख्या :– 10 / न.1–13 / 2017........... पटना, दिनांक.........................

विभागीय पत्रांक–37 दिनांक–15.01.2018 द्वारा DAV पब्लिक स्कूल, नारायणनगर, नेवाजी टोला चौक, छपरा सदर सारण को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित विद्यालय का नाम पता DAV पब्लिक स्कूल, नारायणनगर, नेवाजी टोला चौक, छपरा सदर, सारण के स्थान पर DAV पब्लिक स्कूल, सिधवलिया, ब्रह्मपुर, छपरा, सारण पढ़ा जाय।

शेष सभी कंडिका यथावत रहेगा।

विश्वासभाजन
ह0 / –
(तसनीमुर रहमान)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 10 / न.1–13 / 2017......195 पटना, दिनांक 18/07/2019

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली–110092 / जिला शिक्षा पदाधिकारी, छपरा / प्राचार्य, DAV पब्लिक स्कूल, सिधवलिया, ब्रह्मपुर, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/7/19

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

निजी विद्यालयों के प्रस्वीकृति से संबंधित

प्रपत्र –II

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान)

पत्रांक :–SSA/Aff.2016-17/0236/408......./SSAदिनांक 25.08.2017

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,
डी0ए0भी0 पब्लिक स्कूल, नरायण नगर नेवाजी टोला, चौक,
छपरा सदर, सारण।

विषय :– बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके आवेदन पत्र के आलोक में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को कक्षा –1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु 03 वर्षों (25 मार्च 2017 से 24 मार्च 2020) की अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बार मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों को करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 03 में उद्धृत बच्चों के मामलें में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा –02 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा, तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का परीक्षण नही किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चें के नामांकन से उसकी उम्र प्रमाण–पत्र, नामांकन के विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इन्कार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जाएगें:–
   i. किसी भी नामांकित बच्चें को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   ii. किसी भी बच्चें को किसी प्रकार का शारिरीक दण्ड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
   iii. किसी भी बच्चें को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार का बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम– 22 के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वालें बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
   vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उप–धारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्त्तमान में

6ppu

कार्यत्तर वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 05 वर्षो के अन्दर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेगें।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उप–धारा 01 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगें।

viii. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होगें।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक मे उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों को बरकरार रखेगा।
11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्ग कक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक मे उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 0236 है। इस कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृप्या अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (प्रारंभिक एवं सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा समय–समय पर मांग किये गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्त्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन की नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

बिहार शिक्षा परियोजना सारण,
नगरपालिका चौक, जिला परिषद
छपरा– 841301

Bihar Education Project Saran,
Municipal Chowk, Zila Parishad
Chapra- 841301

पत्रांक 44/SSA

दिनांक 08/01/2019

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक
डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल, छपरा।

विषय – विद्यालय का पता परिवर्तन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम (11) के उपनियम 5 के अन्तगर्त विद्यालय को वर्ग 1 से वर्ग 8 तक संचालन हेतु 03 वर्ष (25 मार्च 2017 से 24 मार्च 2020 तक) के अवधि के लिये औपबंधिक पत्रांक SSA/AFF/2016-17/0236/408 दिनांक 25.03.2017 प्रस्वीकृति प्रदान की गई है। आपके आवेदन के आधार पर विद्यालय का नया भवन निर्माण होने के कारण विद्यालय का पता–नारायण नगर, नेवाजी टोला छपरा से बदलकर सिधवलिया, पोस्ट–फकुली, मौजा– ब्रहम्पुर, थाना– मुफस्सील छपरा सारण है।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, सारण।